भुवनेश्वर (फेस–2) आवासीय योजना

भुवनेश्वर (फेस–2) आवासीय योजना की घोषणा अग्रणीय समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक 26.12.2009 में वरीयता क्रम में 1 और 2 श्रेणियों के आवेदकों के लिए की गई थी, जिसमें आवेदन करने की अन्तिम तिथि 26.02.2010 थी।

2. योजना को आवश्यकता से अधिक अभिदान (Subscription) मिलने के कारण लाभार्थियों का चयन कम्प्यूट्रीकृत प्रणाली के द्वारा दिनांक 19.05.2010 को सीजीईडब्ल्यूएचओ के प्रधान कार्यालय में किया गया। कम्प्यूट्रीकृत ड्रा में सफल आवेदकों को आवंटन पत्र–सह–भुगतान (पहली किस्त) नोटिस दिनांक 7 जून 2010 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया, जिसकी भुगतान करने की अन्तिम तिथि 11.08.2010 थी।

3. कुछ प्रशासनिक सुधारों के कारण परियोजना प्रास्थगन (Abeyance) में रही, जिसके कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। अतः 15.12.2011 को परियोजना के सभी लाभार्थियों और प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को सीजीईडब्ल्यूएचओ की ओर से एक पत्र जारी हुआ, जिसमें लाभार्थियों को दो विकल्प दिए गए 1) जो भी लाभार्थी योजना में अन्त तक रहेंगे उन्हे 5% सालाना की दर से ब्याज अन्तिम किस्त के साथ दिया जाएगा 2) जो भी लाभार्थी योजना से निकलना चाहते हैं, उन्हे भी 5% सालाना की दर से ब्याज सहित रिफन्ड दिया जाएगा। उपरोक्त विकल्प को भुनाने की अन्तिम तिथि 30.01.2012 थी।

4. पत्र दिनांक 15.12.2011 के अनुसार दिनांक 20.03.2014 को सीजीईडब्ल्यूएचओ ने योजना को निबंधन और शर्तों (Terms & Condition) के आधार पर मंजूरी देते हुए एक पत्र जारी हुआ जिसमें सभी श्रेणियों की कीमत को क्रमशः 30.00, 38.22 और 46.55 तय कर दिया गया, जिसमें स्टील्ट के नीचे एक कवर्ड कार पार्किंग की कीमत भी सम्मिलित है। मंत्रालय के कार्यालय मेमोरन्डम संख्या 19011/6/2014–एए/एफटीएस–10397 दिनांक 25 मई 2014 के द्वारा एक पत्र जारी हुआ जिसमें भुवनेश्वर (फेस–2) आवासीय योजना की बढी हुई कीमतों की जॉच पडताल के लिए एक कमेटी का गठन किया गया और सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा जारी पत्र दिनांक 20.03.2014 को प्रास्थगन (Abeyance) रखने का आदेश दिया, जिसके विषय में सीजीईडब्ल्यूएचओ ने अपने पत्र दिनांक 24.04.2014 के द्वारा सभी लाभानुभोगियों को अवगत कराया गया। भुवनेश्वर (फेस–2) आवासीय योजना की बढी हुई कीमतों की जॉच पडताल के लिए बनी तकनीकी रिब्यू समिति, जिसमें कार्यकारी निदेशक (डब्लू एवं डी)–हुडको, डीजीएम (प्रोजेक्ट)–हुडको, प्रतिनिधि मुख्य अभियन्ता–पूर्वी जोन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीजीईडब्ल्यूएचओ सदस्य थे। तकनीकी रिब्यू समिति ने अपनी रिपोर्ट सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (MHUPA) एवं प्रेजीडेन्ट शासी परिषद (सीजीईडब्ल्यूएचओ) को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें रू 2631/– की दर से जिसमें एक पार्किंग की कीमत भी शामिल है, लागू किया जाए। जिसके परिणामस्वरूप (Type `B') की कीमत 28.44, (Type `C') की कीमत 36.22 एवं (Type `D') की कीमत 44.12 तय हो गई।

5. उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए सीजीईडब्ल्यूएचओ ने दिनांक 01.11.2014 को सभी लाभार्थियों को द्वितीय किस्त का पत्र जारी किया, जिसके भुगतान करने की अन्तिम तिथि 31.12.2014 थी, जिसके 36 महीने पश्चात अर्थात् दिसम्बर 2017 तक परियोजना पूरी तरह से कब्जा हेतू पूरी होने की सम्भावना है।